

संख्याक-01
मूल ताम में डिक्री (आवेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीतासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 026/ 2020
पलविन्दपाल सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादी

- बनाम
- 1 सरजीत सिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
 - 2 हरविन्दपाल कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
 - 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोवरु हमारे बहाजरी श्री रेशम सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुद्ई श्री संदीप कुमार सोखंल अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्यायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (क) चक 31 के एस डी के खाता संख्या नया 84 प.न. 50/125 मु.न. 61 कि.न. 5/1, 5/2 प.न. 51/124 मु.न. 57 कि.न. 16 ता 25 प.न. 51/125 मु.न. 60 कि.न. 1/1, 1/2, 2 ता 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 कुल खाता 24 किता में 4.478 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उस हद तक प्रतिवादी संख्या कलमजन किया जाता है।। (ख) चक 34 के एस डी खाता संख्या नया 75 प.न. 45/121 मु.न. 38 कि.न. 6 ता 13 कुल खाता 8 किता 2.024 है0 नहरी आराजी मे से 1.012 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.9.2020 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर